<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>30.09.2025</u>

<u>प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वित्तीय अपराध आयोग (एफसीसी), मॉरीशस के लिए धन शोधन और वित्तीय आसूचना विषय पर आधारित 5 दिवसीय (22 - 27 सितंबर 2025) तकनीकी सहायता कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया ।</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भारत सरकार ने वित्तीय अपराध आयोग (एफसीसी), मॉरीशस के अधिकारियों के लिए पोर्ट लुइस, मॉरीशस में 22 से 26 सितंबर 2025 तक आयोजित पाँच दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। इस कार्यक्रम का आयोजन श्री राहुल नवीन, निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय और श्री तित्रुदेव दाऊदरी, कार्यवाहक महानिदेशक, वित्तीय अपराध आयोग द्वारा वित्तीय अपराधों से लड़ने में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु मार्च 2025 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) के एक भाग के रूप में किया गया।

समझौता ज्ञापन में उल्लिखित सहयोग के आयाम

मॉरीशस ने 2004 में संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन (यूएनसीएसी) का अनुसमर्थन किया था और भारत ने 2011 में इसका अनुसमर्थन किया। दोनों देशों ने यूएनसीएसी (यूएनसीएसी) के मार्गदर्शन में, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच प्रत्यक्ष सहयोग को मज़बूत करने के उद्देश्य से, इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत सहयोग के प्रमुख आयाम में निम्नलिखित शामिल हैं:-

क. भ्रष्टाचार-निरोधी और धन-शोधन-निवारण रणनीतियों पर प्रासंगिक जानकारी एक-दूसरे के साथ साझा करना
ख. विचारों, ज्ञान, कौशल, तकनीकी क्षमताओं और अनुभव का आदान-प्रदान करना
ग. एक-दूसरे की सहायता करना, कौशल, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना
घ. अन्वेषण, अभियोजन, निवारण और शिक्षा में तकनीकी सहायता प्रदान करना
ङ. प्रभावी अन्वेषण तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर ज्ञान साझा करना
च. धन शोधन और भ्रष्टाचार का पता लगाने और रोकने के प्रत्येक के प्रयासों में सहयोग करना तथा संयुक्त गतिविधियाँ करना।

उक्त समझौता ज्ञापन के एक भाग के रूप में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वित्तीय अपराध आयोग (एफसीसी) के अधिकारियों को 22 से 26 सितंबर 2025 तक प्रशिक्षण देने के लिए अपने चार वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को मॉरीशस भेजा था। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विशेष निदेशक (मुख्यालय) ने किया और इसमें संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक कानूनी सलाहकार रैंक के अधिकारी शामिल थे।

उद्घाटन समारोह

क्षमता निर्माण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में निम्नलिखित ने सहभागिता की:

1. श्री धनेश्वर डैमरी, कनिष्ठ वित्त मंत्री और अध्यक्ष, संसदीय समिति, वित्तीय अपराध आयोग,
2. श्रीमती कान ओये फोंग वेंग-पूरुन, जी.ओ.एस.के., सचिव, गृह मामला, प्रधान मंत्री कार्यालय
3. श्री चेदुम्ब्रम नादराजेन, राजदूत, विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार
4. श्री टी. दाऊदरी, कार्यवाहक महानिदेशक, वित्तीय अपराध आयोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस भावना को दोहराते हुए कि भारत और मॉरीशस "सिर्फ़ साझेदार नहीं, बल्कि एक परिवार हैं," ईडी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी बताया कि यह रिश्ता मॉरीशस के साथ एक गतिशील और मज़बूत साझेदारी के रूप में विकसित हुआ है, जो व्यापार और निवेश के मामले में भारत का एक प्रमुख साझेदार है और लगातार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के शीर्ष स्रोतों में शुमार है। उन्होंने ईडी की **94.34%** सज़ा दर पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर भी ज़ोर दिया कि "*अपराध आय का साधन न बने, और अपराधी अपराध के आगम (आय) का उपभोग न कर सकें*"।

उन्होंने मॉरीशस को वित्तीय अपराध आयोग अधिनियम,2023 की स्थापना के लिए भी बधाई दी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, परिसंपत्ति वसूली अधिनियम और सुशासन एवं सत्यनिष्ठा रिपोर्टिंग अधिनियम जैसे पूर्ववर्ती अधिनियम एकीकृत और समाहित किए गए हैं, तथा जिसने भ्रष्टाचार निरोधी स्वतंत्र आयोग (आईसीएसी), परिसंपत्ति वसूली अन्वेषण प्रभाग (एआरआईडी) और सत्यनिष्ठा रिपोर्टिंग सेवा एजेंसी (आईआरएसए) के कार्यों को अपने अधीन किया है, जिससे एफसीसी को जटिल वित्तीय अपराधों के अन्वेषण और मुकदमा चलाने के लिए व्यापक शक्तियां प्राप्त हुई हैं।

वित्त राज्य मंत्री और उच्च-स्तरीय संचालन समिति के अध्यक्ष श्री धनेश्वर डैमरी ने अपने उद्घाटन भाषण में भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराध से लड़ने में मॉरीशस सरकार के उद्देश्य पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एफसीसी अधिनियम 2023 के तहत नवगठित निकाय, एफसीसी को मज़बूत बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएं

प्रशिक्षण कार्यक्रम की संकल्पना एफसीसी के विस्तारित अधिदेश का समर्थन करने और अन्वेषण, अभियोजन और संपत्ति वसूली, जिसमें बरामद धनराशि पीड़ितों को वापस करना भी शामिल है, में भारत के व्यावहारिक

अनुभव को साझा करने के लिए की गई थी। कार्यक्रम के प्रारूप में व्याख्यान, मामला अध्ययन और एफसीसी के अधिकारियों के सर्वोत्तम लाभ के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई व्यावहारिक कार्यशालाएँ शामिल थीं। इसमें शामिल महत्वपूर्ण विषय हैं:

- ईडी के अधिदेश और परिचालन संरचना का अवलोकन
- भारत के पीएमएलए,2002 का एफसीसी अधिनियम, 2023 के साथ तुलनात्मक विश्लेषण
- मूल धन शोधन अवधारणाओं को समझना
- भ्रष्टाचार, साइबर धोखाधड़ी और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले का अन्वेषण
- डिजिटल रिकॉर्ड का फोरेंसिक विश्लेषण
- क्रिप्टोकरेंसी अन्वेषण और उस पर कार्यशाला का आयोजन
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग
- संपत्ति वसूली
- ओपन सोर्स इंटेलिजेंस संग्रह उपकरण
- वर्चुअल संपत्तियों की जब्ती पर कार्यशाला

प्रशिक्षुओं में एफसीसी, अटॉर्नी जनरल कार्यालय और अन्य अन्वेषण एजेंसियों की परिसंपत्ति वसूली इकाइयों में नव नियुक्त और कार्यरत अन्वेषणकर्ता, वरिष्ठ अन्वेषणकर्ता, मुख्य अन्वेषणकर्ता, वरिष्ठ अधिकारी और मुख्य अधिकारी शामिल थे। सत्र पारस्परिक संवादपूर्ण रहा और मामला अध्ययन के माध्यम से समझाए गए व्यावहारिक उदाहरणों पर विस्तृत चर्चा हुई। भारत में अंतर एजेंसी सहयोग, एफसीसी अधिनियम, 2023 और पीएमएलए, 2002 आदि की संरचना में अंतर से संबंधित चर्चाएं हुईं। कार्यक्रम के दौरान ईडी द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा किया गया। ईडी में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रकाश डाला गया, जिसमें क्यूआर कोड सत्यापन के साथ ऑनलाइन समन मॉड्यूल का विकास और उपयोग शामिल है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और उपद्रवियों द्वारा जालसाजी/धोखाधड़ी के जोखिम कम हुए हैं। यह भी बताया गया कि ईडी में, अन्वेषण में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूछताछ हेतु बने कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

केंद्रीकृत डाटाबेस के लाभों के विषय में प्रवर्तन निदेशालय अपराधी ट्रैकिंग प्रणाली (ई-डॉट्स) का उदाहरण देकर समझाया गया, जो कि केंद्रीकृत डाटाबेस है जिसमें ईडी द्वारा अन्वेषण किए जा रहे मामलों से संबंधित जानकारी होती है।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मॉरीशस के उच्चस्तरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकें भी कीं, जिनमें सचिव, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मॉरीशस, अटॉर्नी जनरल, मॉरीशस जो मॉरीशस में पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए केंद्रीय प्राधिकरण है, तथा पुलिस आयुक्त, मॉरीशस शामिल थे।

आगे का रास्ता

इस गहन प्रशिक्षण का उद्देश्य एफसीसी अधिकारियों को वित्तीय अन्वेषण, डिजिटल फोरेंसिक, सीमा पार संपत्ति का पता लगाना (ट्रेसिंग) और क्रिप्टोकरेंसी संबंधी अन्वेषण में विशेषज्ञतापूर्ण कौशल से लैस करना था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को एफसीसी ने खूब सराहा और एफसीसी तथा ईडी दोनों ने भविष्य में और अधिक वर्चुअल तथा प्रत्यक्ष सत्रों के माध्यम से इस सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की।

यह पहल भारत-मॉरीशस सहयोग में एक नए अध्याय को रेखांकित करती है। इसने भविष्य के कार्यक्रमों के लिए एक रूपरेखा भी स्थापित की है, जो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के मानकों और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ईडी के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।

***